

# Order Sheet [Contd]

Case No. PCT 46 of 2017

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
2/17	<p>देशान्तर्गत पीठ अदालत के फरमान राज्य द्वारा एडीपीओ। अभियुक्तगण सहित अधिवक्ता श्री बाबूराम चौरसिया। फरियादी एवं आहत अजय व रामबेटी उप0। प्रकरण नेशनल लोक अदालत में पेश।</p> <p>फरियादी अजय व आहत रामबेटी की ओर से एक राजीनामा आवेदन पत्र, अतर्गत धारा 320 द0प्र0स0 राजीनामा हेतु अनुमति बाबत् मय राजीनामा हेतु अनुमति आवेदन पत्र अतर्गत धारा 320-2 मय लोक अदालत डोंकेंट मय आवेदन पत्र हस्ताक्षर कर प्रस्तुत किया गया। फरियादी एवं आहत की पहचान श्री जी0एस0 निगम एवं अभियुक्तगण की पहचान अधिवक्ता श्री बाबूराम चौरसिया द्वारा की गयी।</p> <p>उभयपक्षों को सुना। प्रकरण का अवलोकन किया।</p> <p>फरियादी एवं आहत ने अभियुक्तगण से राजीनामा बिना किसी भय, दवाब, लोभ-लालच के पारस्परिक संबंधों को मधुर रखने के आशय से किया जाना प्रकट किया है।</p> <p>अभियुक्तगण पर भादवि0 की धारा 325, 323, 504, 34 के अधीन दण्डनीय अभियोग पत्र पेश किया है। उक्त धारा का आरोप न्यायालय की अनुमति से फरियादी एवं आहत द्वारा शमनीय है। पीठ सदस्यगण द्वारा प्रकरण में राजीनामा स्वीकार किए जाने की अनुशांसा की गयी। पक्षकारों के मधुर संबध रखने के आशय एवं सामाजिक शांति बनाये रखने के आपराधिक प्रशासन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुये राजीनामा अनुमति आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायोचित दर्शित होता है।</p> <p>अतः राजीनामा बाद तस्दीक मय आवेदन पत्र के स्वीकार किया जाता है। अभियुक्तगण को धारा 325, 323, 504, 34 भा0द0वि0 के अपराध आरोप से राजीनामा के आधार पर उपशमन की अनुमति प्रदान की जाती है जिसका प्रभाव अभियुक्तगण की दोषमुक्ति होगा। अभियुक्तगण के प्रतिभूति व बंधपत्र भारमुक्त किए जाते हैं।</p> <p>प्रकरण में कोई संपत्ति जब्त नहीं।</p> <p>आदेश की प्रति पक्षकारों को निःशुल्क प्रदाय की जावे।</p> <p>प्रकरण का परिणाम सुसंगत पंजी में दर्जकर अभिलेखागार भेजा जावे।</p>	<p>(Signature) सदस्य विकासन कान्कावरू</p> <p>(Signature) सदस्य</p> <p>(Signature) पीठासीन अधिवक्ता हुए हुए ट्रेड प्रथम वर्ण भायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ण</p>